न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–93 / 2021 (2021 / 279) दर्ज दिनांक 16.07.2021

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

रामेश्वरलाल आत्मज बंशीलाल ब्राह्मण निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थी

बनाम

1. नारायण आत्मज मगना गाडरी
2. सोहनलाल आत्मज मगना गाडरी
3. उगमी पत्नि देवीलाल गाडरी
4. नानी उर्फ नानुड़ी पत्नि जगुड़ा गाडरी
5. नाराणी पुत्री जगु गाडरी
6. रतनी पुत्री जगु गाडरी
7. शंकर आत्मज हजारी गाडरी सर्व निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीगणः– श्री लक्ष्मीनारायण माली

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–20.09.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम गलोदिया पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1010 / 2 रकबा 0.1364 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1364 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 310 पर दर्ज होकर स्थित हैं। जिसकी जमाबन्दी संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गलोदिया पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1010 / 2 रकबा 0.1364 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1364 हे0 भू[illegible] पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी [illegible] के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति [illegible] बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरग[illegible]थरगढी के उपरान्त [illegible] का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी[illegible] के तहत वाद पेश [illegible] के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450 / – (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450 / – (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.12.16 15:30:22 IST
Reason: SelfAttested